

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन , "ए " ब्लॉक, जनपथ , जयपुर - 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल - aao1.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ 2 (ग) (केडर रिव्यू) अलेसे ।। 2030

दिनांक :- 13.02.2024

आदेश संख्या : 44/2023-24

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1(11)एफडी/रिवेन्यू/96 पार्ट-II जयपुर दिनांक 28/04/2016 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 13/08/2013 में दिये गये निर्देशों तथा संयुक्त शासन सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग के पत्र क्रमांक प्र1(34)सानि/2007/पार्ट दिनांक 24/07/2023 के क्रम में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा की कांडर स्ट्रेन्थ में सार्वजनिक निर्माण विभाग की सूची में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

क्र.स .	कार्यालय का नाम	संशोधन पूर्व पद			संशोधन पश्चात् पद		
		स .ले.अ .- I	स .ले.अ .- II	क .लेखाकार	स .ले.अ .- I	स .ले.अ .- II	क .लेखाकार
1	परियोजना निदेशक (पीपीपी) सार्वजनिक निर्माण विभाग अजमेर (8001615)	0	0	0	0	1	0
2	परियोजना निदेशक (पीपीपी) सार्वजनिक निर्माण विभाग किशनगढ़ अजमेर (8001618)	0	0	0	0	1	0
3	परियोजना निदेशक (पीपीपी) सार्वजनिक निर्माण विभाग कोटा (8001617)	0	0	0	0	1	0
4	परियोजना निदेशक (पीपीपी) सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर (8001613)	0	0	0	0	1	0
5	परियोजना निदेशक (पीपीपी) सार्वजनिक निर्माण विभाग जालौर (8001612)	0	0	0	0	1	0
6	परियोजना निदेशक (पीपीपी) सार्वजनिक निर्माण विभाग जोधपुर (8001611)	0	0	0	0	1	0
7	परियोजना निदेशक (पीपीपी) सार्वजनिक निर्माण विभाग बीकानेर (8001616)	0	0	0	0	1	0
8	परियोजना निदेशक (पीपीपी) सार्वजनिक निर्माण विभाग सीकर (8001614)	0	0	0	0	1	0
9	परियोजना निदेशक (पीपीपी) सार्वजनिक निर्माण विभाग हनुमानगढ़ (8001619)	0	0	0	0	1	0

उक्त पद सृजन/समाप्ति के उपरान्त राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा की नवीनतम कैडर स्ट्रेन्थ निम्नानुसार है:-

विवरण	स .ले.अ .-I	स .ले.अ .-II	क .लेखाकार	योग
वर्तमान कैडर स्ट्रेन्थ	2577	3815	5724	12116
नवीन कैडर स्ट्रेन्थ	2577	3824	5724	12125


(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त
शासन सचिव

क्रमांक :- एफ 2 (ग)(कैडर रिव्यू) अलेसे I / 2030

दिनांक :- 13.02.2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
2. संबंधित विभागाध्यक्ष
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
4. निजी सचिव, निदेशक ।
5. पदस्थापन सहायक अलेसे I / II / III को विभागीय अभिलेखों में आवश्यक संशोधन किये जाने हेतु



(राजेन्द्र प्रसाद रैगर)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक I)